UPSI010036512026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–2, सीतापुर।

जमानत प्रार्थनापत्र सं0–669/2026

C.I.S.No.–1586/2026

1– करन उम्र 30 वर्ष पुत्र हरिश्चन्द्र

(निवासी रमुआपारा, थाना अटरिया जिला सीतापुर)

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य

.....विपक्षी/अभियोगी।

मु0अ0सं0–91/2026

धारा–331(4), 305A, 317(2), 345(3) B.N.S.

थाना–अटरिया, जिला–सीतापुर

दिनांक–05.06.2026

निस्तारण प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र

1– यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त करन की तरफ से मुकदमा अपराध संख्या–91/2026 अंतर्गत धारा– 331(4), 305A, 317(2), 345(3) भारतीय न्याय संहिता थाना अटरिया जिला सीतापुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 10.05.2026 से जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध है।

2– उक्त प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से हरिश्चन्द्र पैरोकार मुकदमा व अभियुक्त का पिता है जिन्होने शपथपत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इस जमानत प्रार्थनापत्र के अतिरिक्त कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र न तो माननीय सत्र न्यायालय में और न ही मा० उच्च न्यायालय,

Digitally signed by SHAILENDRA KUMAR VERMA
Date: 2026.06.05 16:53:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court,Sitapur

लखनऊ बेंच, लखनऊ में दिया गया है, न निरस्त हुआ है और न ही विचाराधीन है।

3– प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित घटनाक्रम के अनुसार दिनांक 22.04.2026 को अपनी बुआ के यहाँ एक मांगलिक कार्यक्रम में पूरे परिवार सहित इटौजा गये थे घर पर कोई मौजूद नही था प्रार्थी आज दिनांक 23.04.2026 को सुबह 5.30 बजे घर पर आये तो देखा कि बक्शे का ताला टूटा हुआ था बक्शे में रखी ज्वैलरी जिसमें सोने का हार 1.5 ग्राम, झुमकी 1 जोडी, 1 मांग बेंदी, पायल 250 ग्राम 4 जोड़ी सोनी की चैन 1.5 ग्राम सोने की अंगूठी, एक सोने की नथुनी, सोने का 5 पत्ती वाला माला, 2 जोड़ी झाला, चाँदी का बेल पत्र व चाँदी की त्रिशूल चोरी कर ले गये उक्त चोरी को पड़ोस के रहने वाले अंकुश शुक्ला व निर्भय सिंह पुत्र लवलेश सिंह के द्वारा घर में घुसकर चोरी की गयी है। अंकुश असामाजिक किस्म का आपराधिक प्रवृत्ति का गिरोहबन्द ब्यक्ति है। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

4– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इस जमानत प्रार्थनापत्र के अतिरिक्त कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र न तो माननीय सत्र न्यायालय में और न ही मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में दिया गया है, न निरस्त हुआ है और न ही विचाराधीन है। अभियोजन पक्ष का पूरा केस पूर्णतः झूठा व बनावटी है। प्रार्थी को कथित वाद में नामजद नही बनाया गया है। उक्त वाद के नामित अभियुक्तगण अंकुश व निर्भय सिंह के बयानों के आधार पर प्रकाश में लाकर प्रार्थी को उपरोक्त वाद में अभियुक्त बनाया गया है जबकि प्रार्थी को उपरोक्त वाद की घटना से कोई वास्ता व सरोकार नही है, प्रार्थी पूर्णतः निर्दोष है। प्रार्थ को पास से कोई भी चोरी का सामान बरामद नही हुआ है उसे मात्र उसके घर से दिनांक 9.5.2026 को बुलवाकर उक्त वाद में गलत बरामदगी दिखाकर गलत चालान कर दिया गया है। प्रार्थी किसी भी वाद में

सजायाफ्ता नही है। प्रार्थी एक सभ्य परिवार का सदस्य है प्रार्थी ने कोई अपराधिक कृत्य नही किया है और न ही उक्त वाद में प्रार्थी के विरूद्ध पर्याप्त व विश्वसनीय साक्ष्य है। प्रार्थी अपनी जमानत का दुरूपयोग नही करेगा। नियत ता० पेशियों पर हमेशा समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित आता रहेगा एवं वाद विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा। उक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 द्वारा प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है और कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

6– मैने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

7– प्रथम सूचना रिपोर्ट व केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर वादी के घर में घुसकर जेवरात चोरी करने का आरोप है।

8– प्रस्तुत प्रकरण में सहअभियुक्तगण की जमानत पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं। अभियुक्त दिनांक 10.05.2026 से जेल में निरूद्ध हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त नामजद नही है। अज्ञात में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध का एवं पुलिस द्वारा दिखायी गयी बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नही है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत् रखते हुए, मामले के गुण–दोष पर बिना कोई राय व्यक्त किए, आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र, सशर्त रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त करन की तरफ से मुकदमा अपराध संख्या 91/2026 अंतर्गत धारा– 331(4),305A,317(2),345(3) भारतीय न्याय संहिता थाना अटरिया, जिला– सीतापुर के मामले में प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 669/2026 निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा **मु० 50,000 (पचास हजार रुपए)** के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त किया जाए।

(i) प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उन्हें उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगा।

(ii) प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व –अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेंगा।

(iii) प्रार्थी/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेंगा।

(iv) प्रार्थी/अभियुक्त साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेंगा।

<u>दिनांक–05.06.2026</u>

प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–02, सीतापुर।

<u>ratnesh/–</u>